प्रेस नोट

दिनांक 16.05.2019

थाना शिवरतनगंज पुलिस द्वारा दिनांक 15/16.05.2018 को हुई हत्या की घटना का खुलासा | 02 नफ़र अभियुक्त गिरफ्तार व 01 अदद छुरा (आला क़त्ल) बरामद |

वादिनी सकीना बानो पत्नी मो0 जुनैद उर्फ गुड्डू नि0 मोहम्मदी शाह तकिया मजरे आजादपुर थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी द्वारा थाना शिवरतनगंज में दिनांक 16.05.2019 को दी गई तहरीर पर अपने पति मो० जुनैद उर्फ गुड्डू की हत्या के सम्बन्ध में मु०अ०स० 93/19 धारा 302,201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था | जिसके शीघ्र खुलासे हेतु पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री राजेश कुमार द्वारा क्षेत्राधिकारी तिलोई व थानाध्यक्ष शिवरतनगंज को कड़े निर्देश निर्गत किये गये थे | जिस क्रम में आज दिनांक 16.05.2019 को ज्ञानचन्द शुक्ल थानाध्यक्ष शिवरतनगंज द्वारा जाँच व विवेचना से प्रकाश मे आये अभियुक्तों (1) रिजवान (2) राजू निवासी गण मिया का पुरवा मजरे इन्हौना थाना शिवरनतंगज जनपद अमेठी को मुखबिर की सूचना पर इन्हौना बस स्टैण्ड से आवश्यक बल प्रयोग कर समय करीब 12.15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त गण की निशान देही पर घटनास्थल शिवनरायण के खेत के बगल खाई व पेड़ के पास घटना में प्रयुक्त आला कत्ल 01 अदद छुरा बरामद किया गया। कड़ाई से पूछने पर गिरफ्तार किये गये अभियुक्त रिजवान द्वारा बताया गया कि मेरा मृतक मो.जुनेद उर्फ गुड्डू की पत्नी वादिनी मुकदमा सकीना बानो से अवैध सम्बन्ध था। सकीना बानो के कहने पर राजू के साथ मिलकर मो0 जुनेद की छुरा से हत्या करना बताया। पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही व बरामदगी का विवरण निम्न है-

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. रिजवान पुत्र सगीर अहमद नि0मिया का पुरवा मजरे इन्हौना थाना शिवरनतंगज जनपद अमेठी।
2. राजू पुत्र सफीर अहमद नि0मिया का पुरवा मजरे इन्हौना थाना शिवरनतंगज जनपद अमेठी।

बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद छुरा (आला क़त्ल)।

पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

मु०अ०स० 93/19 धारा 302,201,120बी भादवि थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. ज्ञानचन्द शुक्ल थानाध्यक्ष शिवरतनगंज जनपद अमेठी।
2. उ0 नि0 देवेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी इन्हौना थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।
3. का0 बृजेश राय थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।
4. रि0का0 विकाश राय थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।
5. रि0का0 राजेश कुमार थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी।